न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 77 / 25

GCMS No. 2025/125

लीलाधर बनानी पुत्र रूपचन्द बनानी, जाति सिंधी निवासी मकान नम्बर 150, दादाबाड़ी विस्तार योजना, जिला कोटा	
– (वादी)	
बनाम	
1.	टीकमचन्द पुत्र कल्याण जाति लश्करी निवासी झोपड़ी, हाल निवास लाड़पुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।
2.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा जिला कोटा।
– (प्रतिवादीगण)	

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :– श्री मुकेश खारोल, अभिभाषक वादी
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम–1

निर्णय (राजीनामा)

दिनांक : 01.05.2026

1. वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् विभाजन प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम कैथून, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा मे खसरा नम्बर 822/2189 की 0.34 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 के नाम शामलाती खात मे दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी संलग्न है। राजस्व रिकॉर्ड मे उपरोक्त भूमि वादी तथा प्रतिवादी नम्बर–1 के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही है, जिसमे वादी का 1/2 व 2/7 यानी 11/14 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है, वादी उपरोक्त अपने हिस्से के अनुसार बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है।
   - उपरोक्त भूमि पर काश्त को लेकर आये दिन पक्षकारान के मध्य आये दिन लड़ाई झगड़ा होता है तथा कड़ता–लगान आदि जमा कराने मे विवाद होने लग गया है, इस कारण वादी ने प्रतिवादी क्रम–1 से उपरोक्त भूमि का विभाजन कराने के लिये दिनांक 20.06.2025 को कहा तो प्रतिवादी क्रम–1 नाराज हो गया और भूमि का विभाजन कराने से इंकार कर दिया तथा उक्त वर्णित भूमि को बिना विभाजन कराये रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी।
   - अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि– वादपत्र की मद नम्बर 1 में अंकित ग्राम कैथून, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 822/2189 की 0.34 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी क्रम–1 मध्य होल्डिंग विभाजन कर वादी को उसके 11/14 हिस्से की भूमि को अलग किया जाकर वादी के अलग खाते मे दर्ज की जावे तथा अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादी क्रम–2 को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल–दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।
3. दौराने वाद, पक्षकारान की ओर से स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक एक राजीनामा जो कि नोटरी तस्दीक है फर्द के साथ पेश करते हुये निवेदन किया गया कि –
   - प्रथम पक्षकार (वादी) एवं द्वितीय पक्षकार (प्रतिवादी क्रम–1) के शामलाती खाते की भूमि खाता संख्या नया 871 पुराना 229 की खसरा नम्बर 822/2189 रकबा 0.34 हैक्टर ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा मे स्थित है, जिसमे प्रथम पक्षकार का 3/14 हिस्सा एवं द्वितीय पक्षकार का 1/2 एवं 2/7 यानि कुल 11/14 हिस्सा निहित चला आ रहा है।
   - उक्त भूमि मे हम दोनो पक्षकार उक्त भूमि पर आपसी सहमति से मौके पर इस प्रकार विभाजन करते है कि– प्रथम पक्षकार (वादी) को मेन रोड़ से 40×60 वर्गफुट(नहर की तरफ वाली) पर काबिज रहेगा तथा शेष भूमि द्वितीय पक्षकार (प्रतिवादी क्रम–1) के पास रहेगी, दोनो पक्षकार के मध्य दीवार का विभाजन किया जावेगा जिसका मालिक द्वितीय पक्षकार (प्रतिवादी क्रम–1) रहेगा।
   - प्रथम पक्षकार द्वारा एक अपील मिसल नम्बर 197/2026 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

01.05.26

कोटा को विज्ञो करवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार (वादी) की रहेगी।

- द्वितीय पक्षकार (प्रतिवादी क्रम–1) न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा उनवान लीलाधर बनाम टीकमचन्द प्रकरण जिसमे उक्त राजीनामा की शर्तो के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित करवाकर उक्त भूमि को अलग–अलग रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवायेगा। जिसमे किसी प्रकार की उजरदारी प्रथम पक्षकार नही करेगा।
- उक्त राजीनामा मे द्वितीय पक्षकार (प्रतिवादी क्रम–1) द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव प्रथम पक्षकार पर नही किया गया है। प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार आपसी समझ मे उक्त राजीनामा आलेखित कर अपने–अपने हस्ताक्षर गवाहों की उपस्थिति मे कर रहे है।

4. पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा सहित पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया गया। प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारान की आपसी सहमति से तस्दीक राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 822/2189 रकबा 0.34 हैक्टर मे से वादी को मेन रोड़ से 40×60 वर्गफुट(नहर की तरफ वाली) एवं शेष भूमि प्रतिवादी क्रम–1 के पास रहेगी, दोनो पक्षकार के मध्य दीवार का विभाजन किया जावेगा जिसका मालिक प्रतिवादी क्रम–1 रहेगा। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

5. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

01-05-26

(श्रीमती हुक्म कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

अउनवान :–	
लीलाधर बनानी पुत्र रूपचन्द बनानी, जाति सिंधी निवासी मकान नम्बर 150, दादाबाड़ी विस्तार योजना, जिला कोटा	– (वादी)
बनाम	
1.	टीकमचन्द पुत्र कल्याण जाति लश्करी निवासी झोपड़ी, हाल निवास लाड़पुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।
2.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा जिला कोटा। – (प्रतिवादीगण)

GCMS No.- 2025/125

दावा बाबत 53 RTA
मुकदमा नम्बर : 77 / 25
निर्णय दिनांक : 01-05-2026

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री मुकेश खारोल एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, वादी व प्रतिवादी क्रम–1 की उपस्थिति में, (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कँवर, आर.ए.एस. के समक्ष राजीनामा अनुसार अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 01–05–2026 को पेश होने पर, पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा तस्दीक व स्वीकार स्वीकार फरमाया ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 822 / 2189 रकबा 0.34 हैक्टर मे से वादी को मेन रोड़ से 40 60 वर्गफुट(नहर की तरफ वाली) एवं शेष भूमि प्रतिवादी क्रम–1 के पास रहेगी, दोनो पक्षकार के मध्य दीवार का विभाजन किया जावेगा जिसका मालिक प्रतिवादी क्रम–1 रहेगा। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 01 मई, 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

01-05-26

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	
	जोड	

	प्रतिवादी	रूपया
1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड	